जाब कार्डो के आधार सीडिंग से मनरेगा मजदूरों की भुगतान संबंधी दिक्कतें हुईं नगण्य

मनरेगा मजदूरों को आधार आधारित भुगतान प्रणाली से भुगतान की जा रही मजदूरी

उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देशो के क्रम में मनरेगा जाब कार्ड धारकों को उनके आधार से लिंक किये जाने से मनरेगा श्रमिकों का भुगतान आसानी से और पूरी पारदर्शिता के साथ उनके खातों में हो रहा है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा में धांधली न हो सके, इसके लिए उप मुख्यमंत्री ने ने श्रमिकों के जाब कार्ड को आधार से जोड़ने का निर्देश दिया था। तत्क्रम मे मजदूरों का जाब कार्ड आधार कार्ड से लिंक किया गया है,जिससे मजदूरी की धनराशि सीधे उनके खाते में पहुंच रही है। आधार लिंक होने से श्रमिक की पहचान संबंधी पूरा विवरण सत्यापित हो जाता है। इसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की संभावना खत्म हो जाती है। उच्चाधिकारियों द्वारा इसके लिए सभी रोजगार सेवक, ग्राम पंचायत अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वह अपने तैनाती वाले गांवों में श्रमिकों के आधार लेकर लिंक कराने का कार्य पूरा कर लें। जाब कार्ड आधार से लिंक होने के बाद मजदूरों का भुगतान सीधा उनके खाते में पहुंच रहा है।

महात्मा गांधी नरेगा के तहत लाभार्थियों को मजदूरी का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने और लाभार्थियों द्वारा बैंक खाता संख्या बार-बार बदलने और कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा उसे अद्यतन न करने के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं के समाधान के लिए, आधार-आधारित भुगतान प्रणाली (एबीपीएस) को अपनाने का निर्णय लिया गया। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा में श्रमिकों का शोषण न हो सके, उनके भुगतान में पादर्शिता रहे, इस उद्देश्य से सक्रिय सदस्यों के जाब कार्ड को उनके आधार से लिंक करने का काम किया जा रहा है। जिसका सीधा लाभ श्रमिकों को मिल रहा है। मजदूरी का पैसा आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम से उनके खाते में पहुंच रहा है।

ग्राम्य विकास विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार मनरेगा योजना के अंतर्गत मनरेगा श्रमिकों के जाब कार्ड को आधार के साथ लिंक होने की वर्तमान स्थिति की बात करें तो आल वर्कस की श्रेणी में प्रदेश भर मे 20447854 श्रमिक हैं, जिनमें से 20321164 श्रमिक आधार से लिंक किये जा चुके हैं जो कि 99.38 फीसदी है। वहीं प्रदेश भर में 12873991 सक्रिय श्रमिक हैं ,जिनमें से 12871152 श्रमिक आधार से लिंक किये जा चुके हैं, जो कि 99.98 फीसदी है।

आयुक्त ग्राम्य विकास विभाग जी एस प्रियदर्शी ने बताया कि आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम (ABPS), सरकार की मंशा के अनुरूप मनरेगा श्रमिकों को तकनीकी के बेहतर इस्तेमाल से उन्हें एक पारदर्शी प्रक्रिया से जोड़ने का काम किया जा रहा है। श्रमिकों को उनकी मेहनत-मजदूरी का पैसा सीधे उनके खाते में जा सके, इसलिए उन्हें आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम यानि ABPS से जोड़ा गया है।

यूपी मे "एक पेड़ मां के नाम" वृक्षारोपण महाअभियान में ग्राम्य विकास विभाग रहा सर्वश्रेष्ठ

उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देशो के क्रम में ग्राम्य विकास विभाग द्वारा चलायें गये "एक पेड़ मां के नाम" अभियान के तहत पौधरोपण करने का कीर्तिमान बनाया गया है। प्रदेश में 20 जुलाई को अभियान की शुरूआत की गई थी, जिसके तहत 13.54 करोड़ पौधे लगाकर ग्राम्य विकास विभाग ने अभियान में सर्वश्रेष्ठ योगदान दिया है। ग्राम्य विकास विभाग में प्रदेश में जनपदों की बात करें तो लखीमपुर खीरी ने सबसे बेहतर प्रदर्शन करते हुए योजनांतर्गत 43.24 लाख से ज्यादा पौधरोपण किया।

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देश पर समस्त विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ-साथ गांवों में निवास करने वाले आम नागरिकों की सहभागिता ने इस महाअभियान को सफल बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। बीते वर्षों से निरंतर प्रदेश द्वारा योजनांतर्गत वृहद स्तर पर

ग्राम्य विकास विभाग में पौधरोपण करने में लखीमपुर खीरी जनपद रहा अव्वल

वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है। यूपी को हरा-भरा बनाए रखने के लिए सरकार ने इस वर्ष ग्राम्य विकास विभाग को 13 करोड़ का लक्ष्य दिया गया,इस लक्ष्य को पार करते हुए 13.54 करोड़ से भी ज्यादा पौधरोपण किया गया।

ग्राम्य विकास विभाग ने बीते सालों में भी वृक्षारोपण के कार्यक्रम में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया है। गत 5 वर्षों की बात करें तो वित्तीय वर्ष 2019-20 में आवंटित लक्ष्य 1018.52 लाख के सापेक्ष शत-प्रतिशत 1018.52 लाख पौधे रोपे गए थे। वर्ष 2020-21 में लक्ष्य 880.00 लाख के सापेक्ष 874.11 लाख पौधे रोपे गए थे। वर्ष 2021-22 में लक्ष्य 1056.00 के सापेक्ष 1053.42 लाख पौधे लगाए गए थे। वहीं वर्ष 2022-23 में आवंटित लक्ष्य 1232.00 लाख के सापेक्ष 1228.05 लाख पौधे रोपित किये गये तथा वर्ष 2023-24 में लक्ष्य 1259.20लाख के सापेक्ष 1323.89 लाख पौधों का रोपण कर किया गया। वहीं वर्तमान वर्ष 2024-25 में लक्ष्य 1300.15 के सापेक्ष 1354.62 लाख पौधों का रोपण कर रिकर्ड स्थापित किया गया।

आयुक्त ग्राम्य विकास विभाग जी एस प्रियदर्शी ने बताया कि वृक्षारोपण अभियान को सफल बनाने हेतु ग्राम्य विकास विभाग द्वारा जनपदों को लक्ष्य आवंटित किया गया। जनपदों द्वारा वृक्षारोपण के महाअभियान में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया गया, जिसमें लखीमपुर खीरी जनपद द्वारा सर्वाधिक 43 लाख से भी ज्यादा पौधरोपण किया गया, सोनभद्र ने 37 लाख से ज्यादा पौधों का रोपण किया, जबकि हरदोई ने भी 33 लाख से ज्यादा पौधरोपण कर अपना योगदान दिया।

योगी सरकार ने मखाने की खेती को बढ़ावा देने के लिए शुरू की नई योजना

- ❑ 18 जिलों के किसानों को मिलेगा 40 हजार रूपये प्रति हेक्टेयर अनुदान
- ❑ लखनऊ सहित प्रत्येक चिन्हित जनपदों में 10 हेक्टेयर मखाना उत्पादन का लक्ष्य

- उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह

योगी सरकार ने मखाने की खेती को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना शुरू की है, जिसके तहत किसानों को प्रति हेक्टेयर 40 हजार रूपये का अनुदान दिया जायेगा। इस योजना का प्रदेश के 18 जिलों में शुरूआत की गई है, जिसमें उद्यान विभाग द्वारा एकीकृत बागवानी विकास मिशन के नवान्मेषी कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य किया जा रहा है। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन के साथ-साथ किसानों की आय में वृद्धि करना है।

उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिनेश प्रताप सिंह ने यह जानकारी दी है कि मखाना खेती की विभाग द्वारा अनुमन्य इकाई की लागत 80 हजार रूपये प्रति हेक्टेयर है, जिसमें सरकार 50 प्रतिशत यानी 40 हजार रूपये का अनुदान देगी। इसके लिए किसानों को जिला उद्यान अधिकारी के पास पंजीकरण कराना होगा।

योजना के तहत प्रत्येक चिन्हित जनपदों में 10 हेक्टेयर मखाना उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, जिससे प्रदेश में कुल 180 हेक्टेयर में मखाने की खेती होगी। प्रदेश के लखनऊ, सीतापुर, सुल्तानपुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, बस्ती, संतकबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, बलिया, कुशीनगर, महाराजगंज, मिर्जापुर, बरेली, अयोध्या और गोरखपुर जिलों में इस योजना को लागू किया जा रहा है। इन जिलों में मखाने की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु और संसाधन उपलब्ध हैं, जहां तालाबों और निचले क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति मखाना उत्पादन के लिए अनुकूल है।

पशुसेवा के कार्यो को पशु विज्ञान के माध्यम से भलीभांति संपादित करें -धर्मपाल सिंह

उत्तर प्रदेश के पशुधन दुग्ध विकास एवं राजनैतिक पेंशन विभाग के मंत्री धर्मपाल सिंह आज यहां पशुपालन निदेशालय में पशुधन प्रसार अधिकारी संघ के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने शपथ ग्रहण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि 'पशुसेवा अस्माकं धर्मः' अर्थात पशु की सेवा हमारा धर्म है और पशुधन विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों को यह सौभाग्य प्राप्त है कि वह पशुसेवा के कार्यों को पशु विज्ञान के माध्यम से भलीभांति संपादित कर सके।

शपथ ग्रहण समारोह में पशुधन प्रसार अधिकारी संघ के अध्यक्ष श्री रवीन्द्र सिंह यादव ने अध्यक्ष, अरूण कुमार प्रजापति ने उपाध्यक्ष, फूलचन्द्र सुमन ने महामंत्री, हरीश सिंह ने संयुक्त मंत्री, अखिलेश पाण्डेय ने कोषाध्यक्ष तथा शालिनी गुप्ता ने आडिटर के पद पर शपथ ली।

इस अवसर पर पशुधन मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार विगत वर्षों से पशुधन क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किये गये हैं और पशुधन विभाग सरकार की प्राथमिकता में है। पशुधन विभाग केवल पशुधन संरक्षण के लिए ही नहीं बल्कि प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी गति देने में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। श्री सिंह ने शपथ ग्रहण करने वाले पदाधिकारियों से कहा कि शपथ लेना तभी सार्थक होगा, जिस उद्देश्य के तहत शपथ ली है, उसे पूर्ण करने का प्रयास किया जाए। श्री सिंह ने कहा कि पशुधन प्रसार अधिकारी संघ द्वारा की जा रही मांगों के संबंध में सहानुभूति पूर्वक विचार किया जायेगा और किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होने दिया जायेगा।

कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संघ उ0प्र0 इं0 हरिकिशोर तिवारी, प्रदेश महामंत्री राज्य कर्मचारी संघ शिवबरन सिंह यादव तथा डा0 नरेश कुमार अपर महामंत्री राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उ0प्र0 उपस्थित रहे। कार्यक्रम में निदेशक प्रशासन एवं विकास पशुपालन विभाग डा0 पी0एन0 सिंह, अपर निदेशक डा0 अरविन्द कुमार सिंह, अपर निदेशक डा0 जयकेश पाण्डेय सहित प्रदेश के सभी पशुधन प्रसार अधिकारी उपस्थित रहे।

मत्स्य उत्पादन में वृद्धि हेतु व्यवसायिक दृष्टिकोण अपनाये

उत्तर प्रदेश के मत्स्य विकास मंत्री डा0 संजय निषाद ने गोमतीनगर लखनऊ स्थित उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0 का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि मत्स्य बीज में वृद्धि की जाए। मत्स्य उत्पादन में वृद्धि हेतु व्यवसायिक दृष्टिकोण अपनाये। इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। अच्छे कार्य करने वाले कार्मिकों को प्रोत्साहन भत्ता दिया जाये। समितियों की विसंगतियों को दूर कराये। कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाये, उनके बकाये महगाई भत्ते का भुगतान समय से कराये जाये। केज कल्चर अपनाकर उत्पादन में वृद्धि की जाये। मत्स्य उत्पादन के लिए नवीन तकनीक अपनायी जाये। निगम में प्रचार प्रसार हेतु बजट आवंटित किये जाये।

मत्स्य विकास मंत्री ने मत्स्य विकास निगम में कार्यरत कर्मचारियों से परिचय भी प्राप्त किया तथा विभिन्न पदों की जानकारी ली। निगम में रिक्त पदों के सापेक्ष भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ की जाए। मंत्री जी को मत्स्य बीज की उपलब्धता, जीपीएफ व पेंशन, वाहनों, एक्वावेरियम शॉप व लंबित फाइलों की जानकारी, जलाशय की स्थिति, विनियमतीकरण आदि की जानकारी अधिकारियों ने दी।

सहकारिता

संरक्षक
बी०एन०सिंह (आई.ए.एस.)
आयुक्त एवं निबन्धक,
सहकारिता, उ0प्र0

श्रीकान्त गोस्वामी
प्रबन्ध निदेशक/प्रधान सम्पादक

सवीन्द्र सिंह
महाप्रबन्धक

स्वत्वाधिकारी, यू0पी0 कोऑपरेटिव यूनियन लि0, प्रकाशक, मुद्रक सुनील कुमार दिवाकर द्वारा सहकारी प्रेस, 14, डॉ0 भीमराव अम्बेडकर मार्ग लखनऊ, उ0प्र0 से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक-सुनील कुमार दिवाकर
फोन : 0522-4004577 (का.)
मोबाइल : 9415094114
ईमेल : sahkarita@gmail.com

सभी विवादों का न्याय क्षेत्र लखनऊ ही मान्य होगा।

आर0 एन0 आई0 नं0 : 25008/72 डाक पंजी0 सं0 - GPO- LW/NP-178/2024-26

सहकारिता

उत्तर प्रदेश के सहकारी आन्दोलन का दर्पण

वर्ष : 53 अंक : 04 (हिन्दी साप्ताहिक) लखनऊ-बृहस्पतिवार 24 अक्टूबर, 2024 से 30 अक्टूबर, 2024 पृष्ठ-4 वार्षिक 150.00 रूपया मात्र एक प्रति 3.00 रूपया

खाद्य प्रतिष्ठान में काम करने वाले सभी कार्मिकों को पहचान पत्र धारण करना अनिवार्य किया जाए

- ❑ मुख्यमंत्री ने खान-पान की वस्तुओं में मानव अपशिष्ट/अखाद्य/गंदी चीजों की मिलावट की घटनाओं पर स्थायी रोक लगाने के लिए प्रस्तावित नए कानून पर विमर्श किया
- ❑ खाद्य पदार्थों की पवित्रता सुनिश्चित करने तथा सार्वजनिक व्यवस्था के बारे में उपभोक्ताओं में विश्वास बनाए रखने की महत्ता के दृष्टिगत कठोर कानून बनाया जाना आवश्यक :

- मुख्यमंत्री

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर आहूत एक उच्चस्तरीय बैठक में विगत दिनों हुई जूस, दाल और रोटी जैसी खान-पान की वस्तुओं में मानव अपशिष्ट/अखाद्य/गंदी चीजों की मिलावट की घटनाओं पर स्थायी रोक लगाने के लिए प्रस्तावित नए कानून पर विमर्श किया और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल के दिनों में देश के विभिन्न क्षेत्रों में जूस, दाल और रोटी जैसी खान-पान की वस्तुओं में मानव अपशिष्ट/अखाद्य/गंदी चीजों की मिलावट की घटनाएं देखने को मिली हैं। ऐसी घटनाएं वीभत्स हैं और आम आदमी के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली हैं। यह सामाजिक सौहार्द पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। ऐसे कुत्सित प्रयास कतई स्वीकार नहीं किए जा सकते।

मुख्यमंत्री ने कहा कि खाद्य पदार्थों की पवित्रता सुनिश्चित करने तथा सार्वजनिक व्यवस्था के बारे में उपभोक्ताओं में विश्वास बनाए रखने की महत्ता के दृष्टिगत कठोर कानून बनाया जाना आवश्यक है। होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, स्ट्रीट वेंडर्स से जुड़ी इन गतिविधियों के सम्बन्ध में सुस्पष्ट कानून तैयार किया जाए। कानून का उल्लंघन करने वालों को कारावास और अर्थदण्ड की सजा होनी चाहिए। ऐसे अपराधों को संज्ञेय और अजमानतीय मानते हुए कार्रवाई की जानी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अपनी पहचान छुपा कर असामाजिक तत्वों द्वारा खान-पान की वस्तुओं एवं पेय पदार्थ में मानव अपशिष्ट, अखाद्य, गंदी चीजों की मिलावट की एक भी गतिविधि न हो, इसे कानून के माध्यम से सुनिश्चित करना होगा। ऐसी असामाजिक गतिविधियों पर कड़ाई से लगाम लगायी जानी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हर उपभोक्ता को यह अधिकार हो कि वह खाद्य एवं पेय पदार्थों के विक्रेता तथा सेवा प्रदाताओं के बारे में आवश्यक जानकारी रख सके। इसके लिए विक्रेता द्वारा प्रतिष्ठान पर साइनबोर्ड लगाना अनिवार्य किया जाए। खाद्य प्रतिष्ठान में काम करने वाले सभी कार्मिकों को पहचान पत्र धारण करना भी अनिवार्य किया जाए। छद्म नाम रखने, गलत जानकारी देने वालों के विरूद्ध कठोरतम सजा का प्रावधान होना चाहिए।

जिला सहकारी बैंक, फतेहगढ़, जनपद फर्रूखाबाद में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुये सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर।

मुख्यमंत्री से इज़राइल के राजदूत ने शिष्टाचार भेंट की

उ0प्र0 में विगत 07 वर्षो में इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बहुत कार्य हुए : राजदूत, इज़राइल

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से यहां उनके सरकारी आवास पर इज़राइल के राजदूत रूवेन अज़ार ने शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर इजराइल और भारत, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के मध्य सम्बन्धों को और प्रगाढ़ करने के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया गया।

बैठक में इज़राइल में उत्तर प्रदेश के स्किल्ड मैनपावर की उपलब्धता बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा की गयी। इज़राइल में उत्तर प्रदेश से 5,000 से अधिक लोग स्किल्ड मैनपावर के रूप में गये हैं। इनका प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा है। इज़राइल की सरकार अन्य लोगों को भी वहां कार्य के लिए लेने की इच्छुक है।

बैठक में ड्रिप इरिगेशन तथा पेयजल के क्षेत्रों में सहयोग पर भी विचार विमर्श किया गया। ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश में 02 स्थानों पर ग्राउण्ड वॉटर तथा पीने के पानी के क्षेत्र में इज़राइल से सहयोग लिया जा रहा है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र में ग्राउण्ड वॉटर का प्रयोग कर ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से खेती की उपज को बढ़ाने जाने के सम्बन्ध में एक डी0पी0आर0 प्रस्तुत की गयी है। शासन स्तर पर इस पर शीघ्र ही निर्णय लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त आगरा में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए इज़राइली टेक्नोलॉजी एवं कम्पनियों के साथ मिलकर कार्य किया जा रहा है।

वर्तमान में इज़राइल के सहयोग से जनपद बस्ती तथा कन्नौज में 02 सेण्टर ऑफ एक्सीलेन्स कार्यरत हैं। इनमें जनपद बस्ती का सेण्टर ऑफ एक्सीलेन्स फलों से तथा जनपद कन्नौज का सब्जियों से सम्बन्धित है। बैठक में इन सेण्टर ऑफ एक्सीलेन्स को और प्रभावी बनाये जाने पर भी चर्चा की गयी। इन दोनों सेण्टर ऑफ एक्सीलेन्स को कृषि विज्ञान केन्द्रों से जोड़कर किसानों के बीच इनकी पहुंच बढ़ाने जाने पर बल दिया गया। इनके अतिरिक्त इज़राइल के सहयोग से जनपद कौशाम्बी में सेण्टर ऑफ एक्सीलेन्स फॉर फ्रूट्स तथा जनपद चन्दौली में सेण्टर ऑफ एक्सीलेन्स फॉर वेजिटेबल स्थापित किये जा रहे हैं।

बैठक में पुलिस मॉडर्नाइजेशन तथा एण्टी ड्रोन तकनीक के क्षेत्र में इज़राइली विशेषज्ञता का प्रयोग किये जाने पर भी चर्चा की गयी। महाकुम्भ प्रयागराज 2025 में इज़राइल की टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर इसे और सुरक्षित बनाने के सम्बन्ध में भी विचार विमर्श किया गया।

इज़राइल के राजदूत ने कहा कि उत्तर प्रदेश में विगत 07 वर्षों में इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बहुत कार्य हुए हैं। यहां नई सड़कें, मेट्रो, आर0आर0टी0एस0 के संचालन तथा नये एयरपोर्ट्स के निर्माण में बहुत प्रगति हुई है। उन्होंने अनुरोध किया कि यहां की कम्पनियां इज़राइल में आकर कार्य करें और वहां के इन्फ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने में अपना सहयोग प्रदान करें।

किसान हित में आलू बीज की विक्रय दरों में की गई कमी

किसान जनपदीय उद्यान अधिकारी से नगद मूल्य पर आलू बीज प्राप्त कर सकते हैं

- ❑ आधारित प्रथम 2995 एवं द्वितीय 2595 रूपये प्रति कुंतल आलू बीज की दर निर्धारित
- ❑ गुणवत्तायुक्त प्रमाणित आलू बीज से प्रदेश के आलू उत्पादन में होगी वृद्धि

प्रदेश के उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि योगी सरकार में किसान हित के दृष्टिगत विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अनुदान देने की व्यवस्था की गई है। प्रदेश के किसानों एवं आलू उत्पादकों के हित को देखते हुए वर्ष 2024-25 के लिए आलू बीज वितरण व विक्रय की दरें निर्धारित करने में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में राजकीय आलू बीज की उपलब्धता कृषकों को सुगम बनाए जाने के उद्देश्य से प्रदेश के किसानों को बीजोत्पादन के लिए विक्रय हेतु विभागीय दरों में 500 रूपये प्रति कुन्तल की दर में कमी करके विक्रय दर (शोध संस्थाओं एवं सरकारी संस्थाओं को छोड़कर) निर्धारित कर दी गई है।

उद्यान मंत्री श्री सिंह ने बताया कि निर्धारित दरों के अनुसार अब आधारित प्रथम आलू 2995 रूपये प्रति कुंतल, आधारित द्वितीय आलू 2595 रूपये प्रति कुंतल, ओवर साइज (आधारित प्रथम) 2270 रूपये प्रति कुंतल, ओवर साइज (आधारित द्वितीय) 2210 रूपये प्रति कुंतल तथा आधारित प्रथम आलू ट्रूथफूल 2180 रूपये प्रति कुंतल बीज हो गया है। सफेद एवं लाल आलू प्रजातियों की बीज विक्रय दरें एक समान है। इन दरों पर प्रदेश के कृषक अपने जनपदीय

उद्यान अधिकारी से नकद मूल्य पर बीज प्राप्त कर आलू बीज का उत्पादन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा प्रदेश के किसानों को नकद मूल्य पर आधारित प्रथम, द्वितीय तथा प्रमाणित आलू बीज उपलब्ध कराया जा रहा है। (शेष पृष्ठ 2 पर.....)

संपादकीय

गांवों से शहरों की ओर पलायन को रोकने के लिए सबसे कारगर उपाय है कि गांवों में रोजगार की सुविधाओं का विस्तार किया जाए। इसके लिए गांवों के संसाधनों का गांवों के लिए ही प्रयोग किया जाए। रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए गांवों में सहकारिता द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योगों का जाल फैलाने की आवश्यकता है। महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत का मोक्ष उसके कुटीर उद्योग धंधों में निहित है। किन्तु आधारभूत सुविधाओं के अभाव में किसी भी प्रकार की आशा नहीं की जा सकती। अतः गांवों में श्रम प्रधान उद्योगों की स्थापना के लिए उपयुक्त आधारभूत ढांचे का निर्माण किया जाना चाहिए। गांवों के आर्थिक विकास तथा पलायन पर रोक के लिए यह सबसे कारगर उपाय है। युवकों को ग्रामीण विकास की धारा के जोड़ने के लिए जरूरी है कि व्यवसायिक प्रशिक्षण द्वारा स्वावलंबन की भावना पैदा की जाए जिससे वे गांवों में ही स्वरोजगार की स्थापना कर सकें। गांवों में रोजगार का वातावरण बनने से पलायन पर स्वतः ही अंकुश लग सकता है। सहकारी समितियां गांवों में रोजगार के नये अवसर उत्पन्न कर सकती है। शिक्षित प्रतिभावान ग्रामीण युवकों को गांवों में रोकने के लिए जरूरी है कि उनके जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, यातायात, संचार, मनोरंजन आदि की सुविधाएं गांवों में ही सुलभ कराई जाए ताकि वे गांवों के प्रति आकर्षित होकर या ग्रामीण जीवन के साथ समरस हो सकें।

गांवों में फैली गंदी राजनीति से गांवों के वातावरण को दूषित कर दिया है। सहकारिता और भाईचारे की भावना का अंत हो गया है। आर्थिक मूल्य प्रधान हो गए हैं। इससे ग्रामीण जीवन में असुरक्षा की भावना बढ़ी है। गांवों के आर्थिक विकास के लिए स्वस्थ वातावरण का पुनर्निर्माण हो सकता है। व्यस्त व्यक्ति को झगड़ों के लिए फुर्सत ही कहां रहती है। गांव के शिक्षित लोग इस दिशा में पहल कर सकते हैं। गांवों के लोगों की ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों में लगाना जरूरी है अन्यथा उसका प्रयोग आपराधिक कार्यों में होता है। सहकारी समितियां ग्रामीण युवकों को रचनात्मक कार्यों में लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। गांवों के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ इसके लिए गांवों में सहकारिता के आधार पर मुर्गी-पालन, मछली-पालन, पशु-पालन रेशन कीट पालन आदि की सुविधाओं को बढ़ाया जाए। ग्रामीण उत्पादों पर आधारित उद्योगों को ग्रामीण क्षेत्रों में ही लगाया जाए, जिससे गांवों की जनसंख्या को गांवों में ही कार्य मिल जाए और गांवों की आय गांवों के विकास में ही प्रयोग की जा सके। अन्यथा गांव जो संपूर्ण समाज का पेट भरते हैं स्वयं ही भूखे रहेगें और गांवों से पलायन होता रहेगा।

आज भी भारत की कृषि मुख्य रूप से प्रकृति पर आश्रित है। बाढ़ और अकाल की चुनौतियां भारतीय कृषकों के सामने सदैव रहती है। उस पर भी उसको अनेक बार अपनी फसल का पूरा मूल्य नहीं मिलता है। अतः भारतीय ग्रामीण युवकों को कृषि और गांव से जोड़े के लिए यह जरूरी है कि कृषि उत्पादों के लिए विपणन सहकारी समितियों द्वारा उचित बाजार उपलब्ध कराया जाए ताकि उनको अपनी लागत व परिश्रम का उचित प्रतिफल मिल सके। गांवों में छोटे उपभोक्ता सहकारी भण्डार खोले जायें, इनसे ग्रामीण युवकों को अधिक रोजगार मिलेगा। ❑

पृष्ठ 1 का शेष...किसान हित में आलू बीज .....

इससे पहले आलू बीज की विक्रय दर आधारित प्रथम 3495, आधारित द्वितीय 3095, ओवर साइज (आधारित प्रथम) 2770, ओवर साइज (आधारित द्वितीय) 2710 तथा आधारित प्रथम द्वुथफूल 2680 रूपये प्रति कुंतल निर्धारित की गयी थी।

उद्यान मंत्री ने बताया कि प्रदेश में लगभग 6.96 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में आलू की बुवाई का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिसके लिए लगभग 24- 25 लाख मैट्रिक टन आलू बीज की आवश्यकता होगी। उद्यान विभाग लगभग 40- 45 हजार कुन्तल आधारित श्रेणी का आलू बीज किसानों में बीज उत्पादन के लिए वितरित करेगा। जिससे किसानों द्वारा अग्रेतर श्रेणी का बीज उत्पादन कर प्रदेश में गुणवत्तायुक्त बीज की कमी को पूरा करने में सहभागी हो सकते हैं। गुणवत्तायुक्त प्रमाणित आलू बीज से प्रदेश के आलू उत्पादन में वृद्धि होगी।

निदेशक उद्यान डा. विजय बहादुर द्विवेदी ने बताया कि मार्च 2023 में प्रदेश के राजकीय प्रक्षेत्रों पर उत्पादन के लिए सीपीआरआई, भारत सरकार से 9214.94 कुन्तल जनक (ब्रीडर) आलू बीज प्राप्त कर राजकीय प्रदेश के 21 राजकीय प्रक्षेत्रों पर कुल 224.83 हेक्टेयर क्षेत्रफल में आलू बीज का उत्पादन कराया गया, जिससे 45168.50 कुन्तल आधारीय एवं टी0एल0 श्रेणी के आलू बीज (कुफरी बहार, कुफरी चिप्सोना-1 एवं 3, कुफरी आनन्द, कुफरी पुखराज, कुफरी सूर्या, कुफरी ख्याति, कुफरी सिन्दूरी, कुफरी फ्राईसोना, कुफरी मोहन, कुफरी गंगा, कुफरी नीलकण्ठ, कुफरी लवकार एवं कुफरी बादशाह) का उत्पादन प्राप्त हुआ, जिसे राजकीय शीतगृह अलीगंज, लखनऊ तथा मोदीपुरम, मेरठ में भण्डारित किया गया। भण्डारित आलू बीज का प्रदेश के समस्त जनपदों को आवंटित कर किसानों के मध्य नकद मूल्य पर वितरण किया जायेगा। उन्होंने बताया कि प्रसंस्त प्रजातियों के लिए उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था से पंजीकरण के उपरान्त आलू बीज उत्पादन की बैगिंग, टैगिंग कराने पर किसानों को 25 हज़ार रूपये प्रति हैक्टेयर की दर से अनुदान की व्यवस्था है। आलू बीज की प्रसंस्कृत प्रजातियां कुफरी चिप्सोना-1 एवं 3, कुफरी फ्राईसोना तथा कुफरी सूर्या हैं।

कृषि क्षेत्र में संभावनाओं पर मंत्री ने इजरायल के राजदूत से की चर्चा

कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही द्वारा मंगलवार को लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर इजरायल के राजदूत रीयूवेन अजर, नोआ अम्सलेम वाटर अटैच, एंबेसी ऑफ इजरायल, बह्मा देव प्रोजेक्ट आफीसर मशेवए इजरायल एंबेसी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कृषि क्षेत्र में भारत और इजरायल के साथ तकनीकी रूप से साझेदारी को और अधिक विस्तार देने, कन्नौज एवं बस्ती में इजरायल के तकनीकी सहयोग से स्थापित सेन्टर फॉर एक्सीलेंस से छोटे किसानों को जोड़ने के विषय में चर्चा की।

कन्नौज एवं बस्ती में इजरायल के तकनीकी सहयोग से स्थापित सेन्टर फॉर एक्सीलेंस में छोटे किसानों की सहभागिता बढ़ाने पर हुई बातचीत

कृषि मंत्री ने इजरायली प्रतिनिधि मंडल को बताया कि उद्यान की फसलों, सब्जियों, खाद्यान्न उत्पादन तथा तिलहन के उत्पादन में उ0प्र0 तेजी से आगे बढ़ रहा है और आगे बेहतर तकनीकी का प्रयोग के लिए सभी तैयारियां की जा रही हैं। उन्होंने कन्नौज एवं बस्ती में सेंटर फॉर एक्सीलेन्स बनकर तैयार है, इससे किसानों को जोड़ा जाये, बड़े किसानों को भी क्लस्टर अप्रोच पर फूड प्रोसेसिंग, एक्पोर्ट, पैकेजिंग के लिये बेहर तकनीकी रूप से संबल बनाये जाने पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि कन्नौज और बस्ती में सेन्टर फॉर एक्सीलेन्स अच्छे से चल रहा है, यहॉ पर किसानों का भ्रमण कराने एवं एक्सटेंशन एक्टीविटी के बारे में तथा कौशाम्बी और चन्दौली में वन सेंटर फॉर एक्सीलेंस को जल्दी से जल्दी क्रियाशील करने के संबंध में विस्तार से चर्चा हुयी।

इस अवसर पर इजरायल के राजदूत द्वारा कृषि मंत्री एवं उनकी टीम को 2025 में आयोजित हो रहे एग्रीटेक एग्जीवीशन में प्रतिभाग करने के लिये आग्रह भी किया गया। राजकीय प्रक्षेत्रों पर भी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके इजरायल की कम्पनियों के साथ पी0पी0पी0 मोड पर भी कार्य करने की सम्भावनाओं पर भी चर्चा की गयी।

इस दौरान माननीय मुख्यमंत्री के सलाहकार के0वी0 राजू, प्रमुख सचिव कृषि रविन्द्र, सचिव कृषि अनुराग यादव, निदेशक कृषि, डा0 जितेन्द्र कुमार तोमर, उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम के निदेशक पंकज त्रिपाठी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण की 30वीं प्रबंधकारिणी समिति की बैठक संपन्न

लखनऊ। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण की 30वीं प्रबंधकारिणी समिति की बैठक आयोजित हुई।

अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने कहा कि योजना से आच्छादित विद्यालयों में अध्ययनरत प्रत्येक छात्र को उच्चतम गुणवत्ता का अतिरिक्त सप्लीमेन्ट्री न्यूट्रीशन दिया जाये। खाद्य सामग्री का क्रय स्थानीय स्तर पर निर्धारित मानक के अनुसार किया जाये।

माह नवम्बर, 2024 से मार्च, 2025 तक प्रत्येक बृहस्पतिवार को योजना से आच्छादित विद्यालयों में अध्ययनरत समस्त छात्रों को दिया जायेगा अतिरिक्त सप्लीमेन्ट्री न्यूट्रीशन

बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रदेश के समस्त जनपदों के योजना से आच्छादित विद्यालयों में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सीमा के अंतर्गत अध्ययनरत समस्त छात्रों को सप्ताह में एक दिवस 'अतिरिक्त सप्लीमेन्ट्री न्यूट्रीशन' के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया। यह अतिरिक्त सप्लीमेन्ट्री न्यूट्रीशन माह नवम्बर, 2024 से मार्च, 2025 तक प्रत्येक बृहस्पतिवार (कुल-19 विद्यालय दिवस) को समस्त छात्रों को दिया जायेगा।

अतिरिक्त सप्लीमेन्ट्री न्यूट्रीशन स्थानीय स्तर पर उपलब्धता के आधार पर मूंगफली की चिक्की अथवा गुड़-तिल-मूंगफली की गजक अथवा चौलाई (रामदाना) का लड्डू अथवा बाजरे का लड्डू इत्यादि (प्रत्येक छात्र को न्यूनतम 20 ग्राम की मात्रा में) अथवा भुना चना (प्रत्येक छात्र को न्यूनतम 50 ग्राम मात्रा में) प्रत्येक छात्र को दिया जायेगा। इसके लिये 5 रू0 प्रति छात्र प्रति दिवस की दर निर्धारित की गई है। इस पर लगभग 95 करोड़ रू0 का व्यय किया जायेगा, जिसमें 57 करोड़ रूपये केन्द्रांश व 38 करोड़ रूपये राज्यांश शामिल है।

बैठक में महानिदेशक स्कूल शिक्षा श्रीमती कंचन वर्मा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण आदि उपस्थित थे।

दुधवा नेशनल पार्क में भ्रमण के साथ पर्यटक रोचक कहानियों का आनंद ले सकेंगे

उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण ईको टूरिज्म स्थल दुधवा नेशनल पार्क में शीघ्र ही भ्रमण के साथ-साथ रोचक कहानियां सुनने का भी मौका मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश ईको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड ने इसका पूरा खाका खींच लिया है। नेचर गाइड्स का प्रशिक्षण शुरू हो गया है। प्रशिक्षण में मार्निंग वाक से लेकर शाम तक युवाओं को यहां के नैसर्गिक सौंदर्य, वन्यजीव व अन्य विशेषताओं से परिचित कराया जा रहा है। इसके साथ ही स्टोरी टेलिंग की कला भी सिखाई जा रही है। पर्यटकों को यह सुविधा दुधवा के बाद कतर्नियाघाट और पीलीभीत टाइगर रिजर्व आदि पर्यटक स्थलों पर भी मिलेगी।

यह जानकारी पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश का नैसर्गिक सौंदर्य अद्भुत है। यहां पारिस्थिकीय पर्यटन (इको टूरिज्म) की असीम संभावनाएं हैं। मा. मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश ईको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड का गठन किया गया है। बोर्ड ईको टूरिज्म की संभावनाओं को धरातल पर उतार रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर दुधवा, कतर्नियाघाट व पीलीभीत टाइगर रिजर्व आदि स्थलों पर नेचर गाइड्स की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके तीन महत्वपूर्ण लाभ हैं। पहला कि स्थानीय युवाओं की स्किल डेवलप होगी। दूसरा कि पर्यटकों को प्रशिक्षित गाइड की सुविधा मिलेगी और तीसरा स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा।

क्यूआर कोड आधारित ऑडियो टूर पर्यटकों के अनुभव को यादगार बनायेगा

उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग जल्द ही क्यूआर कोड-आधारित आडियो टूर सुविधा उपलब्ध कराएगा। इसका उद्देश्य राज्य के लोकप्रिय सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थलों की तलाश करने वाले पर्यटकों को यात्रा का बेहतर अनुभव प्रदान करना है। यह डिजिटल पहल यूपी पर्यटन के व्यापक दृष्टिकोण का हिस्सा है, जो राज्य की समृद्ध विरासत को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों के लिए अधिक सुलभ, सहज और आकर्षक बनाएगा।

यह जानकारी प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि क्यूआर कोड-आधारित आडियो टूर उत्तर प्रदेश में पर्यटकों के अनुभव को और बेहतर बनाएगा। पर्यटन की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम होगा। हमारा लक्ष्य प्रदेश की प्राचीन विरासत को आधुनिक तकनीक के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए पर्यटकों को एक समृद्ध और बेहतर अनुभव प्रदान करना है। यह पहल उत्तर प्रदेश को सांस्कृतिक पर्यटन की दिशा में अग्रणी गंतव्य के रूप में स्थापित करेगा।

श्री सिंह ने बताया कि आडियो अभी हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में उपलब्ध होगा जो कि भविष्य में कई क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय भाषाओं में भी सुविधा उपलब्ध होगी। जो कि अधिक से अधिक पर्यटकों तक पहुंच सुनिश्चित करेगा। क्यूआर कोड-आधारित आडियो टूर में व्यापक शोध के साथ पटकथा, वर्णन और सामग्री उत्पादन शामिल होगा। इसमें प्रत्येक स्थान की कहानी आकर्षक तरीके से बताई जाएगी, जो पर्यटकों का ज्ञानवर्धन करेगा। आडियो सामग्री स्थल के आधार पर 01 से 15 मिनट की होगी, जिससे पर्यटक प्रत्येक स्थान की कहानियों से जुड़ें।

पर्यटन मंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने आडियो टूर सुविधा विकसित करने के लिए सक्षम और अनुभवी फर्मों से प्रस्ताव आरएफपी के लिए अनुरोध आमंत्रित किए हैं। क्यूआर कोड-आधारित आडियो टूर पर्यटकों को वाराणसी काशी विश्वनाथ मंदिर, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर और आगरा में फतेहपुर सीकरी जैसे प्रसिद्ध स्थलों सहित राज्य भर के 100 से अधिक प्रमुख पर्यटन स्थलों पर क्यूआर कोड स्कैन कर इमर्सिव अ२डियो सामग्री तक पहुंचने की अनुमति देगा।

श्री सिंह ने बताया कि क्यूआर कोड आधारित आडियो टूर उत्तर प्रदेश के पर्यटन को बढ़ावा देने और डिजिटल युग में राज्य के आकर्षणों को और बेहतर बनाने का प्रयास है। उन्होंने बताया कि क्यूआर कोड आधारित आडियो टूर का उद्देश्य समृद्ध, सूचनात्मक सामग्री आगंतुकों तक आसानी से पहुंचाना और उन्हें संतुष्टि प्रदान करना है।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 02 निःशुल्क एल०पी०जी० सिलेण्डर रिफिल प्रदान किए जाने का निर्णय

प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 02 निःशुल्क एलपीजी सिलेण्डर रिफिल प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 के प्रथम चरण में माह अक्टूबर से दिसम्बर, 2024 तथा द्वितीय चरण में जनवरी, 2025 से मार्च, 2025 तक लाभार्थियों को पूर्णतया निःशुल्क सिलेण्डर रिफिल का वितरण कराया जाएगा।

खाद्य एवं रसद आयुक्त सौरभ बाबू ने बताया कि प्रदेश में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनान्तर्गत 1.85 करोड़ परिवारों को इस योजना के तहत आच्छादित किया जाएगा। इनमें से सर्वप्रथम आधार प्रमाणित 1.08 करोड़ लाभार्थियों को निःशुल्क एल0पी0जी0 सिलेण्डर रिफिल का वितरण किया जाएगा। तदोपरान्त जैसे-जैसे लाभार्थियों के आधार प्रमाणित होते जायेगें उसी क्रम में उन्हें उक्त योजनान्तर्गत आच्छादित करते हुए निःशुल्क सिलेण्डर का वितरण किया जाएगा।

योजनान्तर्गत लाभार्थी अपने स्तर से प्रचलित उपभोक्ता दर के अनुसार भुगतान कर 14.2 कि0ग्रा0 का सिलेण्डर रिफिल प्राप्त करेगा, तदोपरान्त योजनान्तर्गत दिये जाने वाली सब्सिडी उसके आधार प्रमाणित खाते में आयल कम्पनियों द्वारा अन्तरित की जायेगी। ऑयल कम्पनियों द्वारा 1.85 करोड़ लाभार्थियों के सापेक्ष 1.08 करोड़ लाभार्थियों का आधार प्रमाणन कराया गया है। शेष लाभार्थियों, का आधार प्रमाणन ऑयल कम्पनियों के माध्यम से अभियान चलाकर सुनिश्चित कराया जाएगा।

ऐसे लाभार्थी, जिनके आधार प्रमाणित नहीं हुए हैं, की सूची जनपदीय बिक्री अधिकारियों द्वारा एल0पी0जी0 वितरकों को उपलब्ध कराई जाएगी। इस हेतु जनपद स्तर पर ऑयल कम्पनियों के बिक्री अधिकारियों तथा नोडल अधिकारियों की बैठक आहूत कर उन्हें योजना तथा अवशेष लाभार्थियों के आधार प्रमाणन के सम्बन्ध में विस्तृत तौर पर अवगत कराया जाएगा। ऑयल कम्पनियों द्वारा निःशुल्क सिलेण्डर रिफिल योजना के सम्बन्ध में एल0पी0जी0 वितरकों के यहां लैक्सी बोर्ड आदि लगवाए जाएंगे। उज्ज्वला लाभार्थियों को टेलीफोन कर, हॉकर्स के माध्यम से तथा उनके मोबाइल नम्बर पर एस0एम0एस0 प्रेषित किये जाने के निर्देश एल0पी0जी0 वितरकों को दिए जाएंगे। ऑयल कम्पनियों द्वारा ग्राम पंचायत/विकास खण्ड/जनपद स्तर पर निःशुल्क रिफिल वितरण योजना से सम्बन्धित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करते हुए, आमजनमानस सहित उज्ज्वला लाभार्थियों को प्रदेश सरकार द्वारा दी जा रही निःशुल्क सिलेण्डर रिफिल योजना के सम्बन्ध में अवगत कराया जाएगा।

दुग्ध उत्पादन 3.5 लाख किग्रा0 प्रतिदिन किया जाए

किसानों और पशुपालकों को उनके दुग्ध मूल्य का नियमित रूप से भुगतान कराना प्राथमिकता

उत्तर प्रदेश के दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि दुग्ध उत्पादन 3.5 लाख किग्रा0 प्रतिदिन किया जाए और तरल दुग्ध बिक्री 02 लाख ली0 प्रतिदिन किये जाने के प्रयास किये जाए। प्रत्येक दुग्ध संघ कम से कम 05 मिल्क बूथ बनाने का लक्ष्य निर्धारित कर उसे पूरा करे। दुग्ध संघों में कार्यरत डेयरी प्लांट की क्षमता उपयोगिता को बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया जाए।

दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने यहां विधान भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में विभागीय कार्यों के गत् एक सप्ताह में क्रियान्वयन की समीक्षा की। श्री सिंह ने कहा कि दुग्ध विकास विभाग का लक्ष्य प्रदेश की जनता को शुद्ध दूध उपलब्ध कराना है और दुग्ध उत्पादन से जुड़े किसानों, पशुपालकों को उनके दुग्ध मूल्य का नियमित रूप से भुगतान कराना प्राथमिकता है। श्री सिंह ने विभागीय अधिकारियों को बंद पड़ी दुग्ध समितियों को पुनः चालू किये जाने और वर्तमान में संचालित समितियां किसी भी कारण से बंद न किये जाने पर विशेष बल दिया।

श्री सिंह ने कहा कि नन्द बाबा एवं गोकुल पुरस्कार के वित्तीय वर्ष 2023-24 के लाभार्थियों की चयन सूची तैयार कर उन्हें पुरस्कृत करने की कार्यवाही शीघ्र पूरी की जाए। दुग्ध विकास मंत्री ने कानपुर, गोरखपुर और कन्नौज डेयरी प्लांट का संचालन एनडीडीबी को दिये जाने के संबंध में हुई प्रगति की भी समीक्षा की और कहा कि जो भी औपचारिकताएं शेष या अपूर्ण हैं, उन्हें शीघ्र पूरा किया जाए। प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए नई समितियों के गठन एवं पुनर्गठन का लक्ष्य निर्धारण किया गया है, उसे सुदृढ़ कार्ययोजना बनाकर शीघ्र पूरा किया जाए। श्री सिंह ने कहा कि पराग के उत्पादों की मार्केटिंग कर विशेष ध्यान दिया जाए।

श्री सिंह ने निर्देश दिये कि किसानों एवं पशुपालकों को उनके दुग्ध मूल्य का भुगतान निर्धारित समयावधि में किया जाए और विलम्ब न होने पाये। वर्तमान भुगतान के साथ ही बकाया धनराशि का भी भुगतान कर भुगतान प्रक्रिया को नियमित किया जाए। अवगत कराया गया कि वर्तमान में 18108 निबंधित समितियां हैं, जिसके सापेक्ष 7094 कार्यरत समितियां हैं। प्रत्येक दुग्ध संघ द्वारा 02 दुग्ध समितियों का भ्रमण एवं अनुश्रवण किया जा रहा है। गत् एक माह में 775 कार्यरत एवं 459 अकार्यरत दुग्ध समितियां कुल 1234 दुग्ध समितियों में भ्रमण किया गया। 169 अकार्यरत समितियों को कार्यरत किया गया।

बैठक में दुग्ध विकास विभाग के प्रमुख सचिव के0 रवीन्द्र नायक ने मंत्री को आश्वस्त करते हुए कहा कि उनसे प्राप्त दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन दुग्ध संघों द्वारा अभी भी दुग्ध मूल्य भुगतान में उदासीनता बरती जा रही है उनके द्वारा भुगतान कार्य गंभीरता से किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को समितियों की संख्या बढ़ाये जाने के संबंध में तत्परता से कार्य किये जाने के निर्देश दिये। बैठक में गठन/पुनर्गठन के सापेक्ष संचालित दुग्ध समितियां, दुग्ध समितियों द्वारा भ्रमण, डेयरी प्लांट की उपयोगिता क्षमता, दुग्ध उपार्जन, तरल दुग्ध बिक्री, बकाया दुग्ध मूल्य भुगतान आदि की गहन समीक्षा की गयी।

बैठक में पीसीडीएफ के प्रबंध निदेशक आनंद कुमार सिंह, दुग्ध आयुक्त राकेश कुमार मिश्रा, पीसीडीएफ के डा0 मनोज तिवारी, श्रीमती नयन तारा सहित शासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

नगरीय निकाय 'स्वच्छ त्यौहार-स्वस्थ परम्परा' की अवधारणा को करें साकार'

मनुष्य के भौतिक, आध्यात्मिक और मानसिक उन्नति व सुख समृद्धि के लिए उसके आस पास का वातावरण साफ़ सुथरा और स्वच्छ होना चाहिए। स्वच्छ वातावरण में ही ईश्वर का वास होता है। स्वच्छता हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है। स्वच्छता ही अच्छे स्वास्थ्य का मूल मंत्र भी है। इसी दृष्टिकोण के साथ तथा 'स्वच्छ त्यौहार-स्वस्थ परम्परा' की अवधारणा को साकार करने के लिए ही आगामी त्योहारों दीपावली, छठ पूजा आदि को 'स्वच्छ त्योहार, स्वस्थ परम्परा' के रूप में मनाने का आह्वान प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा द्वारा किया गया, जिसके अंतर्गत सभी निकाय कार्मिकों को स्वच्छता को बनाये रखने के निर्देश दिए गए। जारी निर्देश में कहा गया है कि प्रदेश के नगरों को स्वच्छ, सुन्दर और वैश्विक स्तर का बनाने के लिए नगर विकास विभाग प्रतिबद्ध है। आगामी त्योहारों में 'स्वच्छ त्यौहार-स्वस्थ परम्परा' की मूल भावना से मनाने और इसे अपने संस्कार में स्थापित करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहना है। आगामी त्योहारों को स्वच्छता का प्रतीक बनाने के लिए निकायों व गंगा टाउन व नदी घाटों, धार्मिक स्थलों, नगर के मुख्य मार्गों, चौराहों व हेरिटेज स्थलों पर सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सभी कार्मिक पूर्ण क्षमता के साथ जुट जाएं।

अपर निदेशक श्रीमति ऋतु सुहास ने नगर विकास मंत्री जी के निर्देशों के क्रम में प्रदेश की सभी निकायों में आगामी त्योहारों दीपोत्सव, दीपावली, भाई दूज, देव दीपावली एवं छठ पूजा हेतु एसओपी जारी करते हुए कहा कि आगामी दिवसों में कई पर्व मनाये जायेंगे। प्रदेश में विशेष सतर्कता और सावधानी बरतने के साथ ही नगरीय निकायों में साफ-सफाई व्यवस्था एवं शुद्ध पेयजल की उपलब्धता, मार्ग प्रकाश व्यवस्था सु.ढ़ किया जाना आवश्यक है। निकायों में साफ-सफाई व्यवस्था, शुद्ध पेय जल की उपलब्धता, मार्ग प्रकाश व्यवस्था, अतिक्रमण के विरूद्ध अभियान चलाने के निर्देश जारी किये हैं। निकायों में नियमित रूप से प्रातः 05 बजे से 08 बजे तक साफ-सफाई सुनिश्चित की जाये। बाज़ारों व उनके आसपास साफ-सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाए। वहां उत्पन्न होने वाले कचड़े का निस्तारण भी पूर्ण कराया जाए। सभी त्योहारों को जीरो वेस्ट इंवेट के रूप में मनाया जाए। निकाय की सड़कों, गलियों इत्यादि की सफाई हेतु माइक्रो प्लान बनाकर प्रत्येक मोहल्लों/वार्डों की सड़कों/गलियों की सफाई हेतु सफाई कर्मियों की बीट बनाते हुये सफाई सुनिश्चित की जाये। जिसकी मानीटरिंग आनलाइन एवं आफलाइन सुनिश्चित किया जाये।

प्रदेश के नगरीय निकायों में स्थित आगामी त्योहारों के अवसर पर विशेष रूप से सफाई कर्मिकों की तैनाती करते हुये प्रतिदिन साफ-सफाई व्यवस्था सुनिश्चित किया जाये। सफाई के समय एकत्र किये गये कूड़े को उसी समय सेनेट्री लैण्ड फिल साईट पर अथवा उचित स्थान पर भिजवाया जाये। किसी भी दशा में एकत्र किये गये कूड़े अथवा सिल्ट को सड़क पर नहीं छोडा जाएगा। जल भराव वाले स्थानों को चिन्हित करते हुये सूक्ष्म कार्ययोजना बनाकर नियमित रूप से दिन में एण्टीलार्वा स्प्रे का छिड़काव किया जाय तथा शाम के समय फागिंग करायी जाये। सूक्ष्म कार्ययोजना बनाकर त्योहार के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम व क्षेत्र में ब्लीचिंग पाउडर, मैलाथियान डस्ट, चूना इत्यादि का नियमित छिड़काव कराया जाये। शहर में सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर (एस.पी.एम.) एवं धूल को कम करने हेतु आवश्यकतानुसार सडकों पर पानी का छिड़काव किया जाये। सार्वजानिक व पब्लिक शौचालयों में दिन में न्यूनतम दो बार अवश्य साफ-सफाई एवं सेनेटाईजेशन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। निकाय क्षेत्र में उगे झाड़ियों/अवांछित पौधों की कटाई छटाई एवं सफाई सुनिश्चित की जाये।